की ख्याख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित

न्यायालय अपर समाहर्त्ता, गढ़वा

भूमि विक्री अनुमति वाद सं०–191/2021

सी० एन०टी० एक्ट की धारा 46(1)(B) के अंतर्गत

श्री विनोद पासवान —–विक्रेता

प्रति

श्री परमानन्द कुमार वगैरह—–क्रेता

आदेश

अभिलेख उपस्थापित। आवेदक/विक्रेता श्री विनोद पासवान, पिता–स्व० ईश्वर पासवान, ग्राम–रामपुर, पोस्ट–हरिगांवा, थाना–मझिआंव, जिला–गढ़वा ने नीचे दर्ज निम्नांकित भूमि को क्रेता सं०–1 श्री परमानन्द कुमार, क्रेता सं०–2 श्री आनन्द कुमार, दोनों के पिता–देवनाथ राम, ग्राम–रामपुर, पोस्ट–हरिगांवा, थाना–मझिआंव, जिला–गढ़वा को छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम की धारा 46(1)(B) के अंतर्गत भूमि विक्री करने हेतु आवेदन पत्र दिया है। उक्त आवेदन पत्र पर अंचल अधिकारी, मझिआंव से आवेदन पत्र में वर्णित भूमि पर जाँच कर विहित प्रपत्र में स्पष्ट अनुशंसा के साथ आम इस्तेहार का विधिवत तामिला कराकर प्रतिवेदन की मांग की गई। उप समाहर्त्ता भूमि सुधार, गढ़वा के पत्रांक 198/दिनांक 21.06.2022 के द्वारा अंचल अधिकारी, मझिआंव का जाँच प्रतिवेदन एवं आम इस्तेहार के तामिला प्रतिवेदन प्राप्त हुआ। तथा विक्रेता के द्वारा प्रतिवेदित भूमि के संबंध में आवश्यक कागजात प्रस्तुत किया गया।

प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं विक्रेता के द्वारा प्रस्तुत कागजातो के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रस्तावित भूमि के विक्रेता के बाबा जगतु दुसाध वगैरह के नाम से मांग पंजी II के पुराना पृष्ट सं०–87/4 एवं नया मांग पंजी II के पृष्ट सं०–62/1 पर चलता है। विक्रेता जाति के दुसाध (अनूसुचित जाति) एवं क्रेता दुसाध (अनूसुचित जाति) के सदस्य है, विक्रेता एवं क्रेता दोनों एक ही जिला गढ़वा के निवासी हैं। विक्रेता प्रस्तावित भूमि विक्री करने के पश्चात् भूमिहीन नहीं होते हैं। प्रस्तावित भूमि आवेदक (विक्रेता) के शांतिपूर्ण दखल–कब्जे में हैं। यह भूमि भूदान, भू–हदबंदी, वन सीमा इत्यादि से मुक्त है।

अतः उप समाहर्त्ता भूमि सुधार, गढ़वा एवं अंचल अधिकारी, मझिआंव के जाँच प्रतिवेदन/अनुशंसा के आलोक में आवेदक/विक्रेता श्री विनोद पासवान, पिता–स्व० ईश्वर पासवान, ग्राम–रामपुर, पोस्ट–हरिगांवा, थाना–मझिआंव, जिला–गढ़वा ने क्रेता सं०–1 श्री परमानन्द कुमार, क्रेता सं०–2 श्री आनन्द कुमार, दोनों के पिता–देवनाथ राम, ग्राम–रामपुर, पोस्ट–हरिगांवा, थाना–मझिआंव, जिला–गढ़वा को नीचे दर्ज निम्नांकित भूमि की विक्री करने हेतु छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम की धारा 46(1)(B) के अन्तर्गत विक्री हेतु हस्तानन्तरण करने हेतु स्वीकृति दी जाती है।

भूमि का विवरणः–

ग्राम	थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा (एकड़ में)	चौहदी
1	2	3	4	5	6
रामपुर	134	पुराना–62 नया–62	पुराना–60 नया–721	0.04	उ०–कौशीला देवी, द०–बन्धा, पू०–जगतु मांझी वगैरह, प०–श्याम बिहारी यादव,
			कुल रकबाः–	0.04	

आदेश की प्रति आवश्यकं कार्रवाई हेतु जिला अवर निबंधक, गढ़वा को भेजे।

लेखापित एवं संशोधित।

अपर समाहर्त्ता,
गढ़वा

अपर समाहर्त्ता,
गढ़वा

Digitally signed by Pankaj Kumar Singh
Date: 2022.12.15 15:50:54 +05:30
Location: 192.168.17.160

Scanned with CamScanner